

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 219/20-21

(छोटानागपुर काष्ठकारी अधिनियम की धारा - 46)

राजेश डोडराय

अनिता डांग

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

06.11.20

आदेश

आवेदक राजेश डोडराय पिता सुखराम डोडराय ग्राम-कुंजला, पो0-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी ने अनिता डांग पति अल्बर्ट मुण्डू ग्राम-मुण्डा कुंजला, पो0-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी, के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काष्ठकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
पाण्डु	248	71	1794	0.20


आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0560593857 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 738 दिनांक 05.11.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0-1278/1257 दिनांक 21.12.2012 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम बुधवा भगत वैगराह हैं। पंजी II के अनुसार राजेश डोडराय के नाम भूमि का रकबा 0.20 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.70 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 8620.00 (आठ हजार छ सौ बीस) रू0 प्रति डिसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.50 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।


आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूर्ईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण राजेश डोडराय पिता सुखराम डोडराय को अनिता डांग पति अल्बर्ट मुण्डू के साथ ग्राम पाण्डु के खाता सं0 71 खेसरा संख्या 1794 कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 8620.00 (आठ हजार छ सौ बीस) रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


06/11/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


06/11/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।